उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून
UTTARAKHAND TECHNICAL UNIVERSITY, DEHRADUN
पो.ऑ. चन्दनवाड़ी, सुद्धोवाला, देहरादून – 248007, उत्तराखण्ड
P.O. Chandanwari, Sudhowala, Dehradun – 248007, U.K.
Website: www.uktech.ac.in, Tel.: 0135-2774067, 068, 069

पत्रांक/Ref. No. 1582 /अस्थाई सम्बद्धता/2020–21 दिनांक/Date 05/02/2021

सेवा में,
उप सचिव,
मा0 कुलाधिपति/श्री राज्यपाल,
राजभवन सचिवालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः–'श्री देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टैक्नॉलोजी, ग्राम–मंझौन, पौंधा, वाया प्रेमनगर, देहरादून को शैक्षिक सत्र 2020–21 हेतु B.Pharma and M.Pharma (Pharmaceutics & Quality Assurance) पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर निवेदन है कि ''माँ गंगे प्रसिद्ध एजूकेशन फाउण्डेशन ट्रस्ट' द्वारा 'श्री देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, ग्राम–मंझौन, पौंधा, वाया–प्रेमनगर, देहरादून' नामक संस्थान संचालित है। उक्त संस्थान द्वारा शैक्षिक सत्र 2020–21 हेतु विषयांकित पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के लिए विश्वविद्यालय में आवेदन किया गया है।

पी0सी0आई0 द्वारा अपने पत्र संख्या–पी0सी0आई0–2064/1562–1564, दिनांक 20 जुलाई, 2020 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से उक्त संस्थान को बी0फार्मा0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2021–22 तक एवं 328 EC Decision (4th and 5th June, 2020) के माध्यम से एम0फार्मा0 पाठ्यक्रमों को निम्नवत् मान्यता प्रदान की गयी है :–

Program	Shift	Level	Course	Full/ Part Time	Intake Approved for 2020-21
Pharmacy	1st	PG	Pharmaceutics	Full Time	15
Pharmacy	1st	PG	Quality Assurance	Full Time	09
Pharmacy	1st	UG	B.Pharma	Full Time	100

'पी0सी0आई0, नई दिल्ली' से प्राप्त मान्यता के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' (विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों को सम्बद्धता) विनियम–2009, विश्वविद्यालय अधिनियम–1956 की धारा–26 की उपधारा (1) के खण्ड (च) और (छ) के प्रस्तर सं0–4.6 में संस्थानों के सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तारण हेतु निरीक्षण कराये जाने के लिए एक निरीक्षण समिति का गठन कर संस्थान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं एवं अन्य व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन करने हेतु संस्थान का निरीक्षण कराया गया है। निरीक्षण समिति द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–649/XXIV(3)/2016–01(30)/2015, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 के निर्धारित प्रारूप के संलग्नक–01 से 04 के मानक के अनुपालन के क्रम में अपनी निरीक्षण आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो मूल रूप में संलग्न है। विश्वविद्यालय को प्राप्त निरीक्षण आख्या में निरीक्षण समिति द्वारा उक्त संस्थान को शैक्षिक सत्र 2020–21 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की गयी है।

क्रमशः......02

निरीक्षण समिति द्वारा उक्त संस्थान में नियुक्त फैकल्टी का भी अनुमोदन किया गया है, जिसका अनुमोदन प्रमाण–पत्र भी संलग्न किया जा रहा है। निरीक्षण समिति के अनुमोदनापरान्त सक्षम स्तर से संस्थान में नियुक्त फैकल्टी का अनुमोदन किया गया है। विश्वविद्यालय की निरीक्षण समिति की निरीक्षण आख्या, एन्टी रैगिंग प्रमाण–पत्र तथा संस्थान से सम्बन्धित वांछित अन्य अभिलेखों की प्रतियां संलग्न कर एतद्द्वारा प्रेषित की जा रही है।

उक्त संस्थान के अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव राजभवन सचिवालय के आदेश पत्र सं0–5355 / जी0एस0 / शिक्षा / ए4–135 / 2016, दिनांक 18 मार्च, 2016 के अनुपालन में मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त राजभवन सचिवालय को अग्रसारित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि कृपया **'श्री देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, ग्राम–मंझौन, पौंधा, वाया–प्रेमनगर, देहरादून'** को पी0सी0आई0 के मान्यता–पत्र तथा विश्वविद्यालय की निरीक्षण समिति की संस्तुति के आधार पर शैक्षिक सत्र 2020–21 हेतु उपरोक्त बी0फार्मा0 एवं एम0फार्मा0 पाठ्यक्रमों में उनके सम्मुख अंकित सीटों के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0पी0 गुप्ता)
कुलसचिव।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय
देहरादून